

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री वालाजी
कसम मुकदमा श. वा.

बनाम

विपक्षी श्री गोकला
प्रकरण संख्या 02/2017

कार्यवाही विवरण

18/02/25

पत्रावली पेश हुई/वादी-प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/भ्रमण...उपशासनिक कार्य होने से पत्रावली दि 28/04/25 को पेश होवे।

आज्ञा से



रीडर
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

28/04/25

पत्रा. पेश हुई। वकील समयपक्षा उप. जवाब प्रतिवादी सं. 3 लगायत 6 तक के लिये अवसर पाया। न्यायादित में एक ओर अंतिम अवसर दिया जाता है। अगामी पेशी पर जवाब पेश नही करेंगे पर जवाब का अवसर स्वतः अन्य समझा जाये। मि. वाले जवाब प्रतिवादी सं. 3 से लगायत 6 तक के दिनांक 26/05/25 को पेश हो। युज

26/05/25

पत्रा. पेश हुई। वकील समयपक्षा उप. जवाब प्रतिवादी सं. 3 लगायत 6 तक के लिये अवसर पाया। न्यायादित में एक ओर अंतिम अवसर दिया जाता है। मि. वाले जवाब प्रतिवादी सं. 3 से लगायत 6 तक के दिनांक 17/06/25 को पेश हो। युज



12

17/06/25

पत्रा. पेश हुई। वादी मय भाषितवक्ता अनुपाल्यित। जिन्हे न्यायालय समय पर विहित रूप से धार-धार भाषण लगाई गई। उसके उपरान्त भी वादी मय भाषितवक्ता के लिए धारि रहने से वादी का यह वाद बहुत धारि व अदम परवी में धारिण किया जाता है। पत्रावली फंसल बुमार डेकर दाखिल दफतर में भेजा। खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर सलुम्बर

- जिला सलुम्बर -